संख्या-95/2023/1534/22-2-2022-17(243)/2016

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी छोट्टन खां पुत्र श्री हसन रजा, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14659/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.04.2022) दिनांक-06.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी छोट्टन खां पुत्र श्री हसन रजा, वराहमऊ कलां, थाना-पिसावां, जनपद-सीतापुर का निवासी है। दिनांक 13.05.2005 समय अपरान्ह 06:30 बजे बंदी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में वादिनी रजिया बेगम के पुत्र रियाजुद्दीन को जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें किसी तरह रियाजुद्दीन वहां से भाग कर वादिनी के भाई अब्दुल के घर जाकर छिप गया। अभियुक्तों द्वारा वहां पहुँच कर रियाजुद्दीन को बचाने आये अब्दुल पर फायर कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-1008/2005, 622/2007 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 307/149, 302 व 25(1-बी) ए0एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट कोर्ट सं0-5, सीतापुर के आदेश दिनांक 04-12-2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया एवं सत्र परीक्षण सं0-1106/04, धारा-302/34 भा0द0वि0 में मा0 स्पेशल जज, ई0सी0एक्ट, सीतापुर के आदेश दिनांक 09-11-2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06-04-2022 तक 16 वर्ष, 10 माह, 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 08 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 27.10.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने का अवसर होने एवं 10 बिन्दुओं की आख्या में पास-पड़ोस व मृतक परिवार व सम्बन्धियों पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया होने, बन्दी की मुक्ति की दशा में जानमाल की सुरक्षा नहीं रहने व गांव में स्थिति सामान्य न होने के कारण समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 13.05.2005 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादिनी रजिया बेगम के पुत्र रियाजुद्दीन पर फायर किया जिसे बचाने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लिए वादिनी के भाई अब्दुल के आने पर फायर कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी छोट्टन खां पुत्र श्री हसन रजा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी छोट्टन खां (बंदी संख्या-45231) पुत्र श्री हसन रजा, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-95/2023/1534(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-95/2023/1534/22-2-2022-17(243)/2016

दिनांक 14 मार्च, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी छोट्टन खां पुत्र श्री हसन रजा, वराहमऊ कलां, थाना-पिसावां, जनपद-सीतापुर का निवासी है। दिनांक 13.05.2005 समय अपरान्ह 06:30 बजे बंदी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में वादिनी रजिया बेगम के पुत्र रियाजुद्दीन को जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें किसी तरह रियाजुद्दीन वहां से भाग कर वादिनी के भाई अब्दुल के घर जाकर छिप गया। अभियुक्तों द्वारा वहां पहुँच कर रियाजुद्दीन को बचाने आये अब्दुल पर फायर कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-1008/2005, 622/2007 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 307/149, 302 व 25(1-बी) ए0एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट कोर्ट सं0-5, सीतापुर के आदेश दिनांक 04-12-2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया एवं सत्र परीक्षण सं0-1106/04, धारा-302/34 भा0द0वि0 में मा0 स्पेशल जज, ई0सी0एक्ट, सीतापुर के आदेश दिनांक 09-11-2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06-04-2022 तक 16 वर्ष, 10 माह, 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 08 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 27.10.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने का अवसर होने एवं 10 बिन्दुओं की आख्या में पास-पड़ोस व मृतक परिवार व सम्बन्धियों पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया होने, बन्दी की मुक्ति की दशा में जानमाल की सुरक्षा नहीं रहने व गांव में स्थिति सामान्य न होने के कारण समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 13.05.2005 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादिनी रजिया बेगम के पुत्र रियाजुद्दीन पर फायर किया जिसे बचाने के लिए वादिनी के भाई अब्दुल के आने पर फायर कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी छोट्टन खां पुत्र श्री हसन रजा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in